आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

<u>पदोन्नती में आरक्षण का मामला और बवाल की स्थिती :</u>

पदोन्नती में आरक्षण देने के मामले में विविध उच्च न्यायालयों ने और सर्वोच्च न्यायालयने जो अलग अलग फैसले दिये हैं उनकी वजह से पूरे देष में बवाल जैसी स्थिती पैदा हुई है । अब यह मामला सात न्यायाधिषों के खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आयेगा । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2006 साल के आदेष के खिलाफ अंतरिम आदेष देने से इन्कार किया । सरन्यायाधिष दीपक मिश्राजी ने ऐसा इषारा किया की यह मामला अब सात न्यायाधिषों के खंडपीठ को सौंपा जा रहा है। केंद्र सरकार ने ऐसा स्पश्ट किया कि इन अलग अलग फैंसलो की वजह से पदोन्नती के और नौकरीयों के अलग अलग मामले प्रलंबित रह गये हैं और इस मामले की सुनवाई तुरंत करने की मांग की । इस मामले की सुनवाई सर न्यायधिष मिश्रा,न्यामूर्ती एम.एम.खानविलकर और न्यायमूर्ती डी.वाय.चंद्रचूड इनके खंडपीठ के सामने 11/7/2018 को हुई । न्यायालयने ऐसा सूचित किया कि एम.नागराज मामले का पुर्नविचार करने के लिए सात न्यायमूर्तियों के खंडपीठ की आवष्यकता है।

<u>एम. नागराज मामला क्या है</u> :– एम.नागराज मामले में खंडपीठ के पांच न्यायमूर्तियों के 2006 में ऐसा निर्णय दिया था कि संविधान की धारा 16(4) अ और 16(4)ब का संषोधन कानूनी तरह से योग्य है । किन्तु, क्या अनुसूचित जातियॉ और अनुसूचित जनजातियों को क्रिमीलेअर इस संज्ञामे सम्मिलित करें या न करें, उचित प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं ये सब बाते उन राज्यों में तय करनी हैं लेकिन उसी समय राज्य सरकार को यह भी देखना है कि संविधान की धारा 335 के अनुसार प्रषासकीय कार्यक्षमता पर विपरीत परिणाम न हो जाए । उसके बाद विविध उच्च न्यायलयों ने इस निर्णय के अलग अलग अर्थ निकाले और पदोन्नती को रोक लगाई थी । उसके बाद आरक्षण के बारे में बहुत ही संदिग्ध स्थिती पैदा हुई है इसलिए यह टिप्पणी लिखी जा रही हैं।

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com

मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ. महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

सर्वोच्च न्यायालयने गलत अर्थ निकालने की वजह से करोंडो कर्मचारीयों पर अन्याय हुआ है ।

भारतीय संविधान में धारा 16 (4 अ) और 16 (ब) के अंतर्गत अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातीय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया है । फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधिष के खंडपीठने एम नागराजन मामले में किस आधार पर

पदोन्नती में आरक्षण बंद करने का आदेष दिया हैं ? यहॉ सर्वोच्च न्यायालयने गलत अर्थ निकालने की वजह से करोड़ो कर्मचारी और अधिकारीयों का पदोन्नती में आरक्षण रूका हुआ है और उसकी वजह से राज्य सरकारों को आरक्षण में अधिषेश की पूर्ती करने में कठिनाईयॉ महसूस हो रही है । इसकी वजह से संविधान ने जो हमें समान मौका और सामजिक न्याय का अधिकार दिया है उससे हम से दूर जा रहे हैं । यहॉ एक बात कहने चाहिए की सर्वोच्च न्यायालयने जो गलत अर्थ निकाला है उसका आधार लेकर बहुत उच्च न्यायालय पदोन्नती में आरक्षण को स्थगित कर रहे है । सर्वोच्च न्यायालयने एम नागराज मामले में जो निश्कर्श निकाला है वह ऐसा है ।

सर्वोच्च न्यायालयने एम. नागराज मामले में निश्कर्श निकालते वक्त क्या कहा है यह देखना आवष्यक है । उन्होंने कहा है कि संविधान के जिस संषोधन से धारा 16 (4 अ) और 16 (4 ब) संविधान में जोड़े गये हैं, वे धारा 16 (4) से उत्पन्न हुए है । धारा 335 के अंतर्गत राज्य सरकार अपनी कार्यक्षमता ध्यान में रखते हुए जिन कारणों की या कारकों की वजह से आरक्षण के प्रावधान कर सकता है वे कारक या कारण इस संविधान संषोधन की वजह से स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं । क्योंकि वे कारण या कारक हैं पिछडापण या पर्याप्त प्रतिनिधीत्व प्राप्त न होना । जो संदर्भित धाराएं संषोधन के कारण से संविधान में जोडी गयी है, वह धारा 16(4) की संरचना में बदलाव नहीं लाती । ये संदर्भित संविधान संषोधन सिर्फ अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातीयों तक सीमीत हैं इसलिए संविधान की कोई प्रावधान नश्ट नहीं होती ।

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com

मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ. महाराष्ट्र - ४४५००१. टेली - 07232-256333, 256010

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

संविधान की धारा 16(4) सी को पदोन्नती से जोडना गलत है ।

उपरोक्त धारा 16(4) राज्य के लिए और अन्य पिछडे वर्गों के लिए है । (घुमंतु, विमुक्त और परंपरागत व्यवसाय करने वाले) इसलिए यह कहना गलत हे कि यह संविधान संषोधन संविधान की धारा 16(4) से उत्पन्न हुआ है । इस धारा का और अनुसूचित जाती और अनुसूचीत जनजातियों का कोई भी तालुक नहीं है । इस धारा के बारे में 1948 में विधीमंडल में बहस के दौरान श्री टी. कृश्णामाचारी ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी से पूछा था "भीमरावजी, पिछडे वर्ग का इसका मतलब क्या है ?" उस समय डॉ. आंबेडकरजी यह स्पश्ट किया था कि "किसी राज्य की राय से यदि राज्य सरकार को ऐसे लगता है कि किसी नागरिकों का पिछड़ा हुआ वर्ग पिछड़ा हुआ है और उसे षासन व्यवस्था में (नौकरी और षिक्षा में) पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनके लिए कुछ पद आरक्षित रखने के लिए कुछ आक्षेप नहीं होना चाहिए । उसी समय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह भी स्पश्ट किया था कि "इस धारा के अंतर्गत राज्य को किसी वर्ग को पिछडा हुआ वर्ग घोशित करने का अधिकार है।" इसका अर्थ यही होता हे की जो समाज राज्य की सूची के अंतर्गत पिछडा होगा वही केंद्र की सूची में पिछडा वर्ग होगा ही होगा ऐसा नहीं है ।

उपरोक्त बहस ध्यान में लेते हुए यह स्पश्ट है कि संविधान की धारा 16(4) और अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातियों का कुछ तालुक नहीं है । कानून और न्यायालयीन फेसले के बारे में एक बात देखी जाती है कि यदि संविधान की किसी धारा का अर्थ लगाना हे तो उस धारा पर हुई बहस चर्चा और भाशण देखे जाते हैं उसके उसके आधार पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसका अर्थ निकालते हैं, उसी तरह यदि किसी कानून के अर्थ के बारे में कही कोई कलह उत्पन्न हुआ हो तो वह कानून पारित करते हुए उस कानून को जोडे हुए उद्देष और कारणों की छान बीन न्यायालय करता है । उसी प्रकार इस मामले में आरक्षण का उद्देष स्पश्ट है कि संबंधित पदों का अधिषेश पूरा करने के लिए आरक्षण दिया गया है । आरक्षण का उद्देष और तत्व समान मौका और सामाजिक न्याय है । इसलिए न्यायालय गलत अर्थ निकालने में समय न गवाएं और पिछडे वर्गपर अन्याय न करें यह हमारी प्रार्थना है ।

हम दोनों तरफ के वकीलों और न्यायालय को विनंती करते हैं कि हम न्यायालय में खड़े रहकर पार परीक्षा तो नहीं ले सकते लेकिन सब विषेशज्ञों को न्यायदान के लिए बिनती करते हैं ।

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com

मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ. महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

विषेशज्ञ और वकीलो को बिनती है कि वे कृपया निम्नलिखित मसलों का अध्ययन करें ।

(1) संविधान की धारा धारा 16(4) किनके लिए है ?यदि यह धारा अन्य पिछडे वर्गों के लिए है,तो अनुसूचित जाती और जनजातीयों के साथ यह धारा जोडना सही हैं?

(2) अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजातियों ने संविधान की धारा 341 और 342 के अनुसार राज्यों की पिछडे पन की सब कसौटियॉ पूरी करने के बाद और संबंधित राज्य के राज्यपालों की सिफारिषों के बाद माननीय राश्ट्रपतीजी का मान्यता से उनको अनुसूची में षामिल किया है । उन्हें पिछडे हुए माना गया है ।

(3) यह बात याने पिछडेपन साबित करने की आवष्यकता नहीं है । इसलिए एक मिसाल का विचार करें । यदि दस बरस पहले लिपीक के पद पर नियुक्त कर्मचारी को हम आज उनके रोस्टर के आधार पर वरिश्ठ लिपीक के पदपर पदोन्नति दे रहे हैं, तो आज उसे हम कैसे पूछ सकते हैं कि ''क्या आप पिछडे वर्ग के हैं ? या क्या यह राज्य सरकार को पूछना उचित है ?'' इस बात पर न्यायालय किस तरह से विचार करेंगा ? इस का एम. नागराज मामले में फिर से विचार हो जाए ।

(4) यदि राज्य षासन के अधिन आस्थापना में अधिषेश है, तो उसको पूरा करने की योजना या उपाय न्यायालयने सुझााने चाहिए जिसकी वजह से संविधान के सामाजिक न्याय के तत्वों से मिलता जुलता कानून पारित किया जा सकता है और संविधान में दिए हुए मौलिक हक अबाधित रखे जा सकते है ।

(5) 'क्रिमीलेअर' यह संज्ञा का इंद्रा साहनी बनाम भारत सरकार इस केस मे सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में ओ.बी.सी. के लिए अनुपालन करवा दिया था ।

उस समय उन्होंने न्यायमूर्ती रामानंद प्रसाद की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिती का गठन किया था और वह केवल ओ.बी.सी के लिए और षिक्षा में लाभ लेना और सीधे तरीके से सेवामें भरती होने के लिए सीमित था । इसलिए क्रिमीलेअर और पदोन्नती इन दोनों में कोई भी नहीं है । क्यूंकि अन्य पिछडे वर्गीको पदोन्नती में आरक्षण लगता नहीं और अनुसूचित जाती/ जनजातियों का इससे कोई तालुक नहीं, क्यूंकि उन्हें एक लांछन लगा है जो कभी साफ नहीं हो सकता । यह वह बात प्रसाद समितीने ध्यान में ली और विमुक्त घुमंतुओं को क्रिमीलेअर में षामिल न करने की सिफारिष की थी । इसलिए अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजातियों को क्रिमीलेअर से कुछ तालुकात नहीं है और उन्हे पदोन्नतीने क्रिमीलेअर का भी कोई तालुकात नहीं ।

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com
मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ, महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

केंद्रका आदेष राज्यषासन नहीं मानता । देष में बहुत विचित्र स्थिती :

सर्वोच्च न्यायालयने 5 जून,2018 को आरक्षण के एक मामले में ऐसे निर्देष दिये थे कि केंद्र षासन पदोन्नती में आरक्षण पहले जैसा जारी रखे, किंतु वह सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के अधिन हो और उसी समय कानून के अनुसार पदोन्नती में आरक्षण दिया जाए । सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद मा. प्रधान मंत्र नरेंद्र मोदीजी तुरंत मंत्री मंडळकी बैठक ली और केंद्रिय मंत्री रामविलास पास्वानने कहा की आरक्षण जारी है । केंद्र सरकार के डी.ओ.पी.टी.विभागने एक परिपत्रक जारी किया और केंद्र के साथ राज्य में भी पदोन्नती में आरक्षण देने को कहा । किंतु महाराश्ट्र, मध्यप्रदेष तथा उत्तरप्रदेष में भाजपा की सरकार होने के बावजूद पदोन्नती में आरक्षण देने में हिचकिचा रही है । इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेष देवेंद्र फडणवीस नहीं मानते हैं ।

पदोन्नती में आरक्षण की जरूरत क्या है ?

सन 2000 और 2002 में संविधान में धारा 16(4)अ और धारा 16(4)ब समाविश्ट किया है किंतु आरक्षण की नीती उसके पहले 1974 से केंद्र और अलग अलग राज्यों में षुरू की गयी है क्यूंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 में बड़े पैमाने पर बॅकलॉग दिखने लगा तो वह पूरा करने के लिए सिर्फ सीधे तरीके से सेवा भरती करना पर्याप्त नहीं था क्यूंकि पदों पर नियुक्ती करने के पद नियम विभिन्न प्रषासन ने तैयार किये थे । उसमें 50: सीधे तरीके के सेवा भरती करना और 50: पद पदोन्नती से करना ऐसे नियम तैयार किये गए इसकी वजह से पदोन्नती में सामाजिक आरक्षण रखा गया और उनके लिए रोस्टर पद्धती का अनुपालन किया गया । इसका यह अर्थ है कि प्रषासनीक आवष्यकता के लिए और बॅकलॉग की पूर्तता करने के लिए एक तरह की यह योजना है और इसलिए पदोन्नतील में आरक्षण किया गया ।

इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायलय के सबरवाले मामले में दिये हुए फैसले के अनुसार एक बार बॅकलॉग की पूर्ती करने के बाद पदोन्नती में आरक्षण बंद किया जा सकता है । उसके बाद ओपन टू ओपन और बॅकर्वड टू बॅकवर्ड यह पॉलिसी चालू होगी । किन्तु वरिश्ठता तत्वके अनुसार पिछडे हुए वर्ग के कर्मचारी/अधिकारी पदोन्नती के लिए पात्र रहेंगे ।

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com

मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (पे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, इरवाहा रोड, यवतमाळ. महाराष्ट्र - ४४०००१. टेली - 07232-256333, 256010

आमदार
विधानपरिषद सदस्य

सत्यमेव जयते

हरिभाऊ राठोड
आमदार (MLC)
माजी खासदार
लोक सभा
मोबाईल: ९९२०७१६९९९
टेली फॅक्स: ०२२ २५६८६६९९

पदोन्नती में आरक्षण का हिस्सा कितना ?

पिछडे हुए वर्गों को विरोध करने वालों ने यह समझ लेना चाहिए की पदोन्नती में केंद्र में 22.5: और पदोन्नती में महाराश्ट्र में 33: आरक्षण दिया जाता है । इसका अर्थ यही है कि केंद्र के खुले वर्ग के लिए 80: और महाराश्ट्र में 67: पद उपलब्ध है । सामाजिक न्याय का तत्व यह है कि पिछडे हुए वर्ग के लोगों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए । आज केंद्र से सिर्फ 15: बॅकलॉग भरा है और यह भरने के लिए पदोन्नती में आरक्षण के बिना और कुछ अन्य उपाय नहीं है ।

मेरी राय यही है, और यह मैं निष्चय के साथ कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालयने यही गलती यहॉ की है । अब मैं दोनों तरफ के वकीलों को विनंती करता हूँ कि यह गतिरोध आप सुलझाएं अन्यथा सरकार संविधान में संषोधन करें । यही एक रास्ता है ।

सर्वोच्च न्यायालय के पहीले फैसले, विविध उच्च न्यायालय के फैसले और अभी की स्थिती देखी तो ऐसा प्रतीत होता है कि पदोन्नती के आरक्षण में बहुत ही बवाल पैदा हुआ है ।

--- हरिभाऊ राठोड
विधानपरिषद सदस्य

E-mail : haribhaurathod@gmail.com • Website: www.haribhaurathod.com

मुंबई : ए-२०१, बंजारा हिल, बाबासाहेब नाईक सोसायटी, अशोक नगर पोलीस स्टेशन जवळ, मुलुंड (वे), मुंबई-८० टेली- 25686699 मोबाईल : 09868180458, 09920716999
यवतमाळ : अश्विनी टॉवर, डरवाहा रोड, यवतमाळ, महाराष्ट्र - ४४०००१ . टेली - 07232-256333, 256010